सीतादेवी बनाम सरकार

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2022/230

23.12.2022

पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2021 को सुनवाई हेतु जैरकार थी । प्रार्थीगण के रिश्तेदारों में मौत हो जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । प्रार्थी के वकील साहब भी अस्वस्थ्य होने के कारण न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं हो पाये थे । जिसके कारण उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे ।

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.01.2021 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 16.02.2021 को प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रस्तुत कर दिया । अपीलान्ट ने दौराने बहस स्वयं के एवं अपने अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के जो कारण बताएं हैं उनमें मुख्य रूप से अपने अधिवक्ता के अस्वस्थ्य होने का कारण दर्शित किया है । तथा प्रार्थी ने अपने रिश्तेदारों में मौत होना कारण बताया है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपील पुनः नम्बर पर ली जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिटर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा